आदेश

वित्तीय वर्ष 2013–14 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत कार्यों हेतु शासनादेश संख्या–571 / XVIII–(2) / F / 13–12(4) / 2013,TC दिनांक 17 जुलाई 2013 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये कोषागार नियम–24 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को रू0 4.50 करोड़ की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार ही वरिष्ठ कोषाधिकारी अल्मोड़ा को अधिकृत किया जाता है कि उत्तराखण्ड कोष नियम–24 जो वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 में निहित हैं, के प्राविधानों के अन्तर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तत्काल मरम्मत किये जाने हेतु उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0 4.5 करोड़ में से निम्नानुसार देयक पारित करें। प्रश्नगत मद में बजट प्राप्त होने पर उक्त धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा। शासन द्वारा कोषागार नियम–24 द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि में से अतिवृष्टि के कारण दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा** के स्तर से प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर सम्बन्धित उप जिला अधिकारी की जॉच एवं संस्तुति के उपरान्त कार्यदायी संस्था , **निर्माण खण्ड–2, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा** द्वारा गठित आगणनों पर तकनीकी विभाग की जॉच एवं इस कार्यालय के आदेश सं0– 5512 / तेरह–04 / 2012, दि0 18 जून 2013 द्वारा अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एतदर्थ गठित समिति जिसकी बैठक दि0 12 अगस्त 2013 को आहूत की गई है, द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर निम्न प्रस्ताव / परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क0 सं0	दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त योजना का नाम	तहसील का नाम	विभाग / कार्यदायी संस्था का नाम जिसके द्वारा दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्ति की मरम्मत / पुर्ननिर्माण किया जायेगा।	तकनीकी परीक्षण व जिला स्तरीय कमेटी के परीक्षण उपरान्त आगणन की धनराशि जो स्वीकृत / अवमुक्त होनी है।
1	2	3	4	5
1–	दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त अल्मोडा बागेश्वर मोटर मार्ग (66.07 किमी0–रा0मा0–06) को यातायात हेतु खोलने एवं सम्पूर्ण मानसून अवधि के दौरान यातायात खुला रखने के लिये जे0सी0बी0 मशीन तैनात किये जाने हेतु।	अल्मोडा	अधिशासी अभियन्ता, , निर्माण खण्ड–2, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।	₹ 2,40,000–00
2–	दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त बाड़ेछीना–सेराघाट मोटर मार्ग (43.0 किमी0–रा0मा0–03) को यातायात हेतु खोलने एवं सम्पूर्ण मानसून अवधि के दौरान यातायात खुला रखने के लिये जे0सी0बी0 मशीन तैनात करने एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण कार्य।	अल्मोड़ा।	अधिशासी अभियन्ता, , निर्माण खण्ड–2, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।	₹ 13,00,000–00
			योग–	₹ 15,40,000–00 (पन्द्रह लाख चालीस हजारा) मात्र

आवंटित धनराशि को निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किया जायेगा।

1– आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणंनों में स्लिप लिखा गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित / स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

16/08/13